"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2016— पौष 3, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12643/डी. 283/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19-12-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 37 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) में संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग-1) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयोग का उपाध्यक्ष."

(दो) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "एवं उपाध्यक्ष" जोड़ा जाये.

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "एवं उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ",उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन)" अन्त:स्थापित किया जाये.

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह " ,उपाध्यक्ष " अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 8 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) आयोग की बैठकें, अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी, जो बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष बैठक आहूत करेगा एवं उसकी अध्यक्षता करेगा."

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12643/डी. 283/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 37 of 2016)

THE CHHATTISGARH GOSEVA AYOG (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Goseva Aayog Act, 2004 (No. 23 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goseva Ayog (Amendment) Act, 2016.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. (i) After clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Goseva Ayog Act, 2004 (No. 23 of 2004), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(c-1) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Ayog."

(ii) In clause (e) of Section 2 of the Principal Act, after the word "Chairperson" the words "and Vice-Chairperson" shall be added.

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the Principal Act, after the word "Chairperson" the words "and Vice-Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1), after the word "Chairperson" the words and symbol ", Vice-Chairperson" shall be inserted.

(ii) in sub-section (2), after the word "Chairperson" the words and symbol ", Vice-Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 6.

5. In clause (e) of sub-section (3) of Section 6 of the Principal Act, after the word "Chairperson" the words and symbol ",Vice-Chairperson" shall be inserted.

Amendment of Section 8.

6. For sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(3) The meetings of the Ayog shall be convened by the Chairperson who shall preside the meeting and in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson shall convey and preside the meeting."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.